न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/303/2018

उनवान

1. विनोद पिता रामसुख माली निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. हरिओम पिता रामसुख माली निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती भोमा पत्नि पिता रामसुख माली निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमती प्रेमी पत्नि रामेश्वर माली निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. दिनेश पिता रामेश्वर माली निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. गोपाल पिता रामेश्वर माली निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामलाल पिता नाथू लाल माली निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 17/2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की मिलकियत मकबूजा की आराजी ग्राम हुरडा सेजा पटवार हल्का हुरडा सेजा भू अभिलेख निरीक्षक हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में खाता संख्या 1023 नया की रूह से आराजी नम्बर 2995 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 2996 रकबा 0.06 बिस्वा, आराजी नम्बर 2997 रकबा 0.02 बिस्वा, आराजी नम्बर 2999 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा स्थित है। वादी अकेला होने से कभी कभार ही अपने खेत पर आता जाता है। वादी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण ने वादी की खाता संख्या 1023 नया की रूह से आराजी नम्बर 2995 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण आराजी पर, आराजी नम्बर 2999 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में से उत्तर दिशा में 276 वर्गफीट दक्षिण दिशा में 247 वर्गफीट , पूर्व दिशा में 138 वर्गफीट, पश्चिम दिशा में 134 वर्गफीट पर नाजायज कब्जा कर लिया । जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को ओलम्बा दिया तथा प्रतिवादीगण को विवादित खेत का कब्जा वादी को देने हेतु कहा तो उन्होनें खेत देने से मनाकर दिया । यह जमीन तो हमारी है और हम मालिक है। वादग्रस्त रकबे पर प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं होते हुए भी वादीकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वादी की खाता संख्या 1023 नया की रूह से आराजी नम्बर 2995 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण आराजी पर, आराजी नम्बर 2999 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में से उत्तर दिशा में 276 वर्गफीट दक्षिण दिशा में 247 वर्गफीट , पूर्व दिशा में 138 वर्गफीट,

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पश्चिम दिशा में 134 वर्गफीट पर नाजायज कब्जा कर लिया। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

2. वादी द्वारा दिनांक 26.8.2017 को प्रतिवादीगण को निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ जाने एवं वादी की आराजियात को जबरन हडपने की नियत से कब्जा सुपुर्द करने से साफ मना कर दिया और वादी को अनाधिकार पूर्वक धमकी दी कि आयन्दा कभी भी हमारे द्वारा किये गये नाजायज कब्जे की ओर मुंह किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा । अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि ग्राम हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा स्थित खाता संख्या 1023 नया की रूह से आराजी नम्बर 2995 रकबा 2 बीघा सम्पूर्ण आराजी पर, आराजी नम्बर 2999 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में से उत्तर दिशा में 276 वर्गफीट दक्षिण दिशा में 247 वर्गफीट , पूर्व दिशा में 138 वर्गफीट, पश्चिम दिशा में 134 वर्गफीट पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये नाजयज कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को काबिज करा कब्जा दिलाया जावे एवं वादी के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात पर बाद बेदखली किसी तरह का हस्तक्षेप वादी के उपयोग उपभोग में स्वयं, नौकर, चाकर, एजेण्ट से नहीं करें करावें, तथा अन्य आराजियात पर कोई अवरोध बाधा उत्पन्न न करें एवं उपरोक्त आराजियात में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित की तथा गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि वह दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौजा हुरडा सेजा तहसील हुरडा की आराजी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नम्बर 2995 रकबा 2 बीघा, रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि को मौके पर जाकर नपती करे यदि प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात पर कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा सुपुर्द करावे। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट्स/वादीगण ने अपीलाण्ट्स के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर अपीलाण्ट्स का आराजी नम्बर 2995 रकबा 2 बीघा पर तथा आराजी संख्या 2999 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा में से उत्तर दिशा में 276 फिट, दक्षिण दिशा में 247 फिट, पूर्व दिशा में138 फिट एवं पश्चिम दिशा में 134 फिट पर नाजायज कब्जा कर लेना बताते हुए बेदखली बाबत अनुतोष चाहते हुए कब्जेयाबी की डिक्री हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया, रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में जारी नोटिस की अपीलाण्ट्स पर तामील ही नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सभी नोटिस पर तामील पर फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त फर्जी हस्ताक्षर तामील कुनिन्दा से मिलाभागती कर तामील कराये गये हैं। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.2.2018 में एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किया जाना वर्णित किया गया है। लेकिन अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । उसकी जानकारी भी अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को नहीं थी। बाद में प्रकरण

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

को राजस्व लोक अदालत कैम्प के दौरान अपीलाण्ट को सूचना किये जाने पर अपीलाण्ट हरिओम माली राजस्व कैम्प के समक्ष उपस्थित हुआ तो उसे यह पत्रावली बताई गई एवं कहा गया कि उपस्थिति के हस्ताक्षर आदेशिका पर कर दो तथा बाद में वकील बनाकर कार्यवाही करवा लेना, इस आश्वासन के तहत अपीलाण्ट हरिओम माली ने दिनांक 18.6.2018 को आदेशिका पर हस्ताक्षर कर दिये। बाद में पत्रावली के संबंध में न्यायालय में पता करवाया तो यह ज्ञात हुअ कि प्रकरण में दिनांक 18.6.2018 को ही निर्णय पारित कर दिया गया ।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर अपीलाण्ट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये । सम्मन पर तामील कुनिन्दा की कोई हलफिया रिपोर्ट तथा तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर भी नहीं है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण पर प्रोपर तामील नही होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने तामील मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात जिस पर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण का नाजायज कब्जा बताया है वह लम्बे अर्से पूर्व सभी भाईयों द्वारा शामलाती क्रय की हुई है । उस समय सभी भाईयों का शामलाती परिवार था । महज रेस्पोडेण्ट के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई क्योंकि वह पढा–लिखा एवं परिवार में समझदार व्यक्ति था। अन्यथा कब्जा जिस अनुरूप वर्तमान में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट का है उसी अनुसार वक्त खरीद से ही वादग्रस्त आराजी पर चला आ रहा है। अपीलार्थीगण क वादग्रस्त आराजियात पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है। उक्त कब्जा प्रत्यर्थी एवं जनसाधारण की जानकारी में खुले आम कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रत्यर्थी/वादी ने यह अंकित नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा कब कब्जा किया गया, इस बाबत कोई तारीख अंकित नहीं की है। इस प्रकार आराजी पर कब्जे की अवधि दर्शाये बिना कब्जेयाबी का दावा पोषणीय नहीं रहता है। अपीलाधीन प्रकरण में वाद पत्र किसी बिनायवाद के प्रस्तुत किया गया है। जो पोषणीय योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। उसके बावजूद प्रत्यर्थी/वादी का वाद पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगणा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

10. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 15.1.2018 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारीकरआगामी तारीख पेशी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिनांक 12.2.2018 नियत की गई । दिनांक 12.2.2018 को प्रतिवादीगण के नोटिस की तामील होना मानते हुए एवं प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं पत्रावली वास्ते शहादत वादी नियत की गई।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जारी नोटिस का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी नोटिस जो कि प्रतिवादी विनोद पिता रामसुख को जारी किया गया जिसकी पुश्त पर विनोद नाम से हस्ताक्षर किये गये है। इस हस्ताक्षर के साथ कोई तारीख का अंकन नहीं है। उक्त तामील के बाद तामील कुनिन्दा की कोई हलफिया रिपोर्ट नहीं की गई। हरिओम पिता रामसुख के नोटिस की पुश्त पर एवं श्रीमती भोमा पत्नि रामसुख को जारी नोटिस की पुश्त पर हरिओम के हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त हस्ताक्षर के साथ भी कोई तारीख का अंकन नहीं है एवं तामील कुनिन्दा की कोई हलफिया रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है। श्रीमती प्रेमी पत्नि रामेश्वर को जारी नोटिस की पुश्त एवं गोपाल पिता रामेश्वर की पुश्त दिनेश पिता रामेश्वर को जारी नोटिस की पुश्त पर प्रेम देवी के हस्ताक्षर किये गये हैं। उक्त तीनों नोटिस की पुश्त पर प्रेम देवी के हस्ताक्षर है। परन्तु उक्त तीनों नोटिस की पुश्त पर भी तामील कुनिन्दा की कोई हलफिया रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील मानते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये । जिसे उचित नहीं माना जासकता है।

12. दिनांक 12.2.2018 को अंकित आदेशिका में मिसल वास्ते शहादत वादी नियत करते हुए आगामी तारीख दिनांक 6.3.20198 दी गई है। परन्तु दिनांक 6.3.2018 को पीठासीन अधिकारी के कैम्प में होने से प्रकरण में आगामी तारीख

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पेशी दिनांक 9.4.2018 नियत की गई। दिनांक 9.4.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.7.2018 नियत की गई। दिनिांक 12.2.2018 से प्रकरण साक्ष्य वादी में लंबित चल रहा था। प्रकरण में वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक 9.4.2018 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.7.2018 नियत की गई परन्तु नियत दिनांक 9.7.2018 से पूर्व ही प्रकरण को 18.6.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा में रखा गया । प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर सूचित किया जाना अनिवार्य होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने बाबत कोई सूचना पत्र जारी किया गया हो एवं उसकी तामील प्रतिवादीगण पर हुई हो संलग्न नहीं है।

13. प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने पर उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण को निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया हो। अपीलाधीन प्रकरण में राजीनामा प्रपत्र भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होना प्रमाणित होता है। दिनांक 18.6.2018 की आदेशिका पर अपीलार्थी/प्रतिवादी हरिओम के हस्ताक्षर किये गये हैं। इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी हरिओम ने राजीनामा कर प्रकरण को निस्तारण किये जाने का निवेदन किया हो। प्रकरण में 6 प्रतिवादीगण थे । उनमें से मात्र एक हरिओम प्रतिवादी के उपस्थित होने एवं आदेशिका पर किये गये हस्ताक्षर के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि प्रकरण में राजीनामे के आधार पर निस्तारण चाहा गया हो। यदि राजीनामा माना भी जाता है तो मात्र

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादी / अपीलाण्ट हरिओम के ही हस्ताक्षर है । ऐसी स्थिति में शेष 5 प्रतिवादीगण की न तो उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किया जाना एवं उन पर तामील करवाने के उपरान्त उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है। प्रोपर तामील के अभाव में एवं उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामे एवं राजीनामा प्रपत्र पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर के अभाव में प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारित नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन प्रकरण में पक्षकारों की न तो उपस्थिति सुनिश्चित की गई है एवं न ही पक्षकारान ने कोई राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर ही किये गये हैं। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। मूल वाद में पक्षकारान के हक हितों का बाद साक्ष्य सुनवाई अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है । ऐसी स्थिति में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात का विवेचन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

15. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा